भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4201

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान

4201. श्री राजू बिष्ट:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जनवरी, 2022 से व्यक्तियों को तपेदिक (टीबी) से संक्रमित होने से रोकने और जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) जनवरी, 2022 से तपेदिक रोग से ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ग) नि-क्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के अंतर्गत तपेदिक के रोगियों को पोषण सहायता के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और व्यय की गई है; और
(घ) क्या सरकार प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) के अंतर्गत अन्य पहलों को शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है और सरकार ने शीघ्र निदान, त्वरित उपचार और निवारक उपायों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी रोगभार वाले क्षेत्रों में लक्षित कार्यकलाप।
- टीबी रोगियों के लिए नि:शुल्क दवाओं और निदान का प्रावधान।
- विशेष कमजोर और सह-रुग्ण आबादी में अभियानों के माध्यम से सक्रिय टीबी मामले की खोज।
- टीबी स्क्रीनिंग और उपचार सेवाओं के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एकीकरण।
- टीबी मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।

- उप-जिला स्तरों पर आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए मुख सेव्य, शीघ्र, सुरक्षित और अधिक प्रभावी सभी उपचार की शुरूआत।
- पोषण सहायता के लिए नि-क्षय पोषण योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति रोगी 1000/- रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि बढ़ाना।
- नि-क्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और संपर्क में आने वाले पारिवारिक सदस्यों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता का प्रावधान।
- टीबी रोगियों और कमज़ोर आबादी के संपर्क सदस्यों को टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग।
- हीन भावना को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार करने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप।
- टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रयासों और संसाधनों का अभिसरण।

(ख): जनवरी, 2022 से टीबी रोग से पीड़ित व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण सहायता के लिए नि-क्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के तहत प्रोत्साहन राशि को मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रति माह कर दिया है, जो 1 नवंबर, 2024 से उपचार की पूरी अवधि के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में होगा। वर्ष 2024-25 के लिए एनपीवाई हेतु कुल बजटीय आवंटन 864.53 करोड़ रुपये है। प्रारंभ से लेकर अब तक अप्रैल, 2018 से अक्टूबर, 2024 तक 1.16 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 3286.40 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, सरकार ने नि-क्षय मित्र पहल का दायरा बढ़ाया है, जिसके तहत टीबी रोगियों को पोषण और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले सभी पारिवारिक सदस्य इस पहल के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

अनुलग्नक

दिनांक **20/12/2024** को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **4201** के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2022, 2023 और 2024* में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार टीबी मामलों की अधिसूचना			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2022 (जनवरी-दिसंबर)**	**2023 (जनवरी-दिसंबर)**	**2024 (जनवरी-अक्टूबर)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	534	561	445
आंध्र प्रदेश	92187	89064	69371
अरुणाचल प्रदेश	2863	2604	2430
असम	47822	51862	42202
बिहार	161165	186974	167193
चंडीगढ़	6066	6721	5885
छत्तीसगढ़	38521	38924	32526
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1399	1167	889
दिल्ली	106731	100523	88868
गोवा	2091	2082	1710
गुजरात	151912	144507	113431
हरियाणा	75838	80490	73703
हिमाचल प्रदेश	16089	15648	13429
जम्मू एवं कश्मीर	11804	11754	10442
झारखंड	57320	61717	53213
कर्नाटक	80416	81862	65186
केरल	23388	21799	17267
लद्दाख	320	320	235
लक्षद्वीप	11	6	6
मध्य प्रदेश	186293	184691	149093
महाराष्ट्र	234105	227664	186706
मणिपुर	2554	2495	2067
मेघालय	4989	4908	3890
मिजोरम	2085	2273	1985
नगालैंड	4125	4287	3419
ओडिशा	60372	62387	48917
पुदुचेरी	3835	4169	2843
पंजाब	55150	55224	49739
राजस्थान	169522	165123	145405
सिक्किम	1395	1391	1122
तमिलनाडु	93879	98251	77820
तेलंगाना	72941	74994	62722
त्रिपुरा	3024	3386	2760
उत्तर प्रदेश	522850	632872	563573
उत्तराखंड	27553	26829	24984
पश्चिम बंगाल	100972	102728	83962

* दिनांक 19 नवंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
डेटा स्रोत: नि-क्षय

*****